



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56899

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 318/2026

आलोक कुमार मिश्रा

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: कुशाग्र श्रीवास्तव, रवि प्रकाश मिश्रा, शाहरुख

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) मुजफ्फरनगर, द्वारा दिनांक 13.11.2025 को जमानत याचिका संख्या 5279/2025 में पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है। यह याचिका मुकदमा अपराध संख्या 70/2025, धारा 87, 64(1), 127(3) बीएनएस और धारा 3(2) (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पुलिस स्टेशन- फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर से उत्पन्न हुई है।

2. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान एजीए की दलील सुनी और संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचनादाता द्वारा दर्ज कराई गई आक्षेपित एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 23.09.2025 को सुबह लगभग 10.00 बजे, उसकी लगभग 18 वर्षीय बेटी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम नहीं है और न ही उसका कथित घटना से कोई संबंध है। न तो अपीलकर्ता ने सूचनादाता की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है और न ही उसके साथ बलात्कार किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि पीड़िता को सह अभियुक्त समीर द्वारा 23.09.2025 को बहला-फुसलाकर ले जाया गया था और अपीलकर्ता दिल्ली में एक ऑटो चालक है और धन विवाद के कारण उसे फंसाया गया है। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार, पीड़िता सह अभियुक्त समीर को भली-भांति जानती थी, जिसने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2026 को आपराधिक अपील संख्या 12046/2025 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है, जमानत आदेश की प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है। अपीलकर्ता दिनांक 28.09.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि हलफनामे के पैराग्राफ 24 में उल्लेख किया गया है। आगे यह निवेदन है कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने यह जानते हुए अपराध किया कि पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है। आक्षेपित आदेश में कोई खामी या अवैधता नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपी गई भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने में गलती की है। आक्षेपित आदेश

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खामी और अवैधता से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जाना चाहिए तथा अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपित अपीलकर्ता **आलोक कुमार मिश्रा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन **जमानत पर रिहा किया** जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

19 मार्च, 2026

अजीत

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"